www.ecourtsindia.com

न्यायालय : विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट) रीवा म.प्र.
(पीठासीन :– संजीव सिंघल)

अपराध क्रमांक– 356 / 2021
फाई.नंबर– SCNDPS/14112/2021
CNR- MP1701-018351-2021
प्रकरण क्रमांक– SCNDPS/195/2021
IA No.- 01/2022

गुल्ले उर्फ गुल्ला उर्फ राहुल गोड़ तनय रामहित गोड़ उम्र 58 साल, पेशा मजदूरी निवासी– ग्राम सेदहा थाना गढ़ जिला रीवा म.प्र.।

.....आवेदक / अभियुक्त

बनाम

म.प्र. राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र लौर,
जिला रीवा म.प्र.

.....अनावेदक / अभियोगी

———————————————————————————

11-01-2022

आवेदक / अभियुक्त गुल्ले उर्फ गुल्ला उर्फ राहुल गोड़ की ओर से श्री कृष्णेन्द्र पाण्डेय, अधिवक्ता।

म.प्र. राज्य की ओर से श्री नीलग्रीव पाण्डेय, अतिरिक्त लोक अभियोजक।

पुलिस आरक्षी केन्द्र लौर, जिला रीवा से अपराध क्रमांक– 356 / 2021 अंतर्गत धारा 8, 21, 22 एन.डी.पी.एस.एक्ट एवं धारा 5 / 13 म.प्र. ड्रग कन्ट्रोल एक्ट की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्रस्तुत।

उपरोक्त अपराध से संबंधित प्रकरण क्रमांक SCNDPS/195/2021 म.प्र. राज्य विरूद्ध गुल्ले उर्फ गोल्ला उर्फ राहुल का मूल अभिलेख प्रस्तुत।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं.(आई.ए. नंबर– 01 / 2022) पर उभयपक्ष अभिभाषकगण के तर्क सामाजिक दूरी का पालन करते हुए श्रवण किये गये।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में यह लेख किया गया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आवेदक मजदूरी करने वाला 58 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है, उसके द्वारा कोई कफ सिरप नहीं पाई गयी है बल्कि थाना लौर की पुलिस उसके गृह ग्राम सेदहा जाकर जब वह मजदूरी का काम कर रहा था उसे उसे बुलाया औ यह कहकर ले गई कि तुमसे थाना में पूछताछ करनी है। पुलिस आवेदक को

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP17010183512021-orderno-1.pdf

कई दिनों तक थाने में बैठाई रही और फिर आवेदक के उपर थाना में पहले से रखी कफ सिरप बिना पूछताछ किये कोरे पन्नों में हस्ताक्षर करवाकर विवश कर झूठा मेमोरंडम व झूठी जप्ती बनाकर 45 शीशी कफ सिरप की जप्ती बनाकर उक्त अपराध कायम कर दिया गया। आवेदक को रंजिशन प्रकरण में फंसाया गया है जबकि आवेदक का घटना से कोई संबंध नहीं है। आवेदक तीन माह से ज्यादा समय से केन्द्रीय जेल रीवा में निरूद्ध है। आवेदक बीमार रहता है व उसकी पत्नी वृद्ध है व काफी बीमार रहती है जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आवेदक के जेल में होने से झुग्गी झोपडी में रहने वाले उसके परिवार में भूखो मरने की स्थिति आ गई है। प्रकरण का चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। वर्तमान में कोरोना पुनः तेजी से फैल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। आवेदक रीवा जिले का स्थाई निवासी है जिससे उसके भागने व फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक जमानत हेतु अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

जमानत आवेदन के समर्थन में आवेदक की पत्नी श्रीमती मीरा गोड़ उम्र 52 साल, निवासी ग्राम सेदहा थाना गढ़ जिला रीवा म.प्र. द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर वर्तमान जमानत आवेदन को **प्रथम** नियमित जमानत आवेदन होना लेख किया गया है।

अभियोजन की ओर से आवेदन का घोर मौखिक विरोध करते हुए प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

मूल अभिलेख, केस डायरी एवं प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि पुलिस आरक्षी केन्द्र लौर, जिला रीवा के अपराध क्रमांक 356/2021 अंतर्गत धारा 8, 21, 22 एन.डी.पी.एस.एक्ट एवं धारा 5/13 म.प्र. ड्रग कन्ट्रोल एक्ट में **कुल 45 शीशी (प्रत्येक शीशी 100 एम.एल.)** अवैध नशीली कोडीन युक्त इस्कफ कफ सिरप **अर्थात कुल 04 किलो 500 ग्राम** कोडीन फास्फेट आवेदक/अभियुक्त द्वारा कब्जे विक्रय के उद्देश्य से कब्जे में रखे पाये जाने पर से जप्त किया जाना दर्शित होता है।

एन.डी.पी.एस.एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंधित मादक द्रव्य कोडीन की अल्प मात्रा 10 ग्राम तथा वाणिज्यिक मात्रा 01 किलोग्राम है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ का न्यायदृष्टांत हीरा सिंह एवं अन्य विरूद्ध यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य सिविल अपील नंबर 5218/2017 निर्णय दिनांक 22.04.2020 की कंडिका 10 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP17010183512021-orderno-1.pdf

कि एन.डी.पी.एस.एक्ट के अंतर्गत जप्तशुदा माल में मादक द्रव्य की मात्रा की गणना करते समय मादक द्रव्य एवं उसमें मिश्रित अन्य न्यूट्रल सब्सटेंस की संपूर्ण मात्रा को गणना में लेना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में जप्तशुदा **04 किलो 500 ग्राम कोडीन वाणिज्यिक मात्रा** में आता है। प्रस्तुत मामले में **धारा 37 एन.डी.पी.एस.एक्ट** के प्रतिबंधात्मक कठोर प्रावधान आकृष्ट होते हैं। मामला जमानत प्रदान करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

परिणामस्वरूप आवेदक/अभियुक्त **गुल्ले उर्फ गुल्ला उर्फ राहुल गोड़** की ओर से प्रस्तुत **प्रथम** नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत **धारा 439 दं.प्र.सं.** उपरोक्त समग्र कारणों से बाद विचार **निरस्त** किया जाता है।

तद्नुसार आई.ए. नंबर– 01/2022 निराकृत।

आदेश की प्रति केस डायरी में संलग्न कर संबंधित आरक्षी केन्द्र को वापस प्रेषित की जावे।

आदेश का परिणाम सी.आई.एस. में अंकित किया जावे।

प्रकरण पूर्ववत् 17.02.2022 को पेश हो।

SANJEEV SINGHAL

Digitally signed by SANJEEV SINGHAL
Date: 2022.01.17 19:08:20 +0530

(संजीव सिंघल)
विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस.एक्ट)
रीवा म.प्र.

www.ecourtsindia.com

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP17010183512021-orderno-1.pdf